E-mail
FAK

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज प्रभाग)

संकल्प

विषय : **राज्य के ग्रामीण विकास में जन–जन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक गांव में आदिवासी विकास/ग्राम विकास समितियों का गठन।**

गाँवों का विकास ग्रामीणों की सहभागिता के बगैर किया जाना संभव नहीं है। अतः राज्य के ग्रामीण विकास में जन–जन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक गाँव में आदिवासी विकास/ग्राम विकास समितियों की भूमिका सुस्पष्ट किया जाना आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य के सभी गाँवों में ग्राम विकास समिति/आदिवासी विकास समिति गठन किए जाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था ।

सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने निम्नवत ग्राम विकास समिति/आदिवासी विकास समिति के गठन का निर्णय लिया है :–

1. उक्त ग्राम विकास समिति/आदिवासी विकास समिति में अध्यक्ष के रूप में महिला सदस्यों का चयन किया जायेगा एवं 18 से 35 वर्ष के युवा सदस्य को सचिव के रूप में चयनित करने की कार्रवाई की जायेगी ।

2. **समिति का स्वरूप**

- राज्य में अवस्थित वैसे चिरागी गॉव, जहॉ अधिकतम 100 परिवार (Households) आवासित हों, उन गांवों में प्रत्येक गांव में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा।
- राज्य में अवस्थित वैसे चिरागी गॉव, जहॉ 100 परिवार (Households) से अधिक परिवार आवासित हों, उन गांवों में प्रत्येक गांव में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा।

3. **समिति के सदस्य**

1. अनुसूचित क्षेत्र के सभी ग्रामों में एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के वैसे ग्रामों में जहां 50 प्रतिशत से अधिक परिवार अनुसूचित जनजातियों के हों, वहाँ आदिवासी विकास समिति का गठन होगा, जिसकी संरचना निम्नवत् होगीः–

- महिला सदस्य (न्यूनतम)– 2 (9 सदस्यीय समिति)/3 (11 सदस्यीय समिति)
- अनुसूचित जनजाति के सदस्य (न्यूनतम)– 2

13/3/18

- अनुसूचित जाति के सदस्य (न्यूनतम)– 2
- अन्य योग्य गणमान्य व्यक्ति– 3(9 सदस्यीय समिति)/4 (11सदस्यीय समिति)
- मुखिया/ग्राम प्रधान/मानकी मुण्डा इत्यादि विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

आदिवासी विकास समिति में अध्यक्ष; कोषाध्यक्ष एवं सचिव अनुसूचित जनजाति श्रेणी के सदस्य में से चयनित किये जायेंगे ।

2. जिन गांवों में 50 प्रतिशत से कम परिवार अनुसूचित जनजातियों की हों, वहाँ ग्राम विकास समिति का गठन होगा, जिसकी संरचना निम्नवत् होगी :–

- महिला सदस्य (न्यूनतम)– 2 (9 सदस्यीय समिति)/3 (11 सदस्यीय समिति)
- अनुसूचित जनजाति के सदस्य (न्यूनतम)– 2
- अनुसूचित जाति के सदस्य (न्यूनतम)– 2
- अन्य योग्य गणमान्य व्यक्ति– 3(9 सदस्यीय समिति)/4(11 सदस्यीय समिति)
- मुखिया विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

यदि किसी गाँव में पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जनजाति के सदस्य उपलब्ध नहीं हैं तो वैसी परिस्थिति में अनुसूचित जाति के सदस्यों से श्रेणी की अनुसूचित जनजाति की रिक्ति प्रतिपूर्त्ति की जायेगी तथा इसी प्रकार यदि किसी गाँव में अनुसूचित जाति के सदस्य/परिवार उपलब्ध नहीं हैं तो वैसी परिस्थिति में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से अनुसूचित जाति के श्रेणी की रिक्ति प्रतिपूर्त्ति की जायेगी।

यदि उपरोक्त दोनों ही श्रेणी के सदस्य उपलब्ध नहीं हों तो अन्य किसी श्रेणी से इसको भरा जा सकेगा।

4. सदस्यों का चयन–

सदस्यों का चयन गाँव में विकास के निमित्त एक विशेष आम–सभा के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु पंचायत सेवक के द्वारा प्रत्येक गॉव के व्यस्क सदस्य को एक विशेष बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस दी जायेगी एवं उक्त बैठक की अध्यक्षता मुखिया/ग्राम प्रधान/मानकी मुण्डा आदि के द्वारा की जायेगी । सभी सदस्यों का चयन बैठक में सर्वसम्मति से किया जायेगा एवं इस विशेष आम–सभा के बैठक की कार्यवाही एक पंजी में संधारित की जायेगी । उक्त बैठक के आयोजन के पूर्व इसका व्यापक प्रचार– प्रसार पंचायत स्वयंसेवकों के द्वारा किया जायेगा तथा बैठक के आयोजन में भी इनका सक्रिय भागीदारी रहेगी । उक्त बैठक के आयोजन हेतु पंचायत स्वयंसेवकों को 1000/– रु0

13/3/18

प्रोत्साहन राशि दी जायेगी । सभी प्रखंड समन्वयक अपने प्रखंड में इस चयन प्रक्रिया का गहन पर्यवेक्षण करेंगे ।

5. **समिति का कार्यकाल** – उक्त समिति की कार्यावधि 2 वर्ष की होगी ।

6. **समिति का कार्य** – राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा करायी जानेवाली स्थानीय महत्व की छोटी–छोटी कच्ची योजनाएँ यथा चेकडैम, जल संचयन संरचनाएँ, तालाब, आहर, डोभा आदि, जिनकी लागत अधिकतम 5.00 लाख रू0 तक हो तथा जिनका क्रियान्वयन अधिकतम एक वर्ष की अवधि का हो, का उपयोगिता के आधार पर चयन किया जाएगा एवं कार्यान्वयन समिति के द्वारा कराया जाएगा।

7. **प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य** – प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण में समिति कार्य करेगी।

8. ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग) के द्वारा योजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय प्रबंधन एवं वित्त प्रवाह के संबंध में अलग से विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जायेंगे।

9. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

10. प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के ज्ञापांक 706 दिनांक 06.03.2018 के कम में दिनांक 06.03.2018 को आहूत बैठक में मद संख्या 14 के रूप में दी गई है ।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

13/3/18

(विनय कुमार चौबे)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक :01स्था(वि0)–25/2018 802 **राँची, दिनांक** :13.3.18

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

निदेश दिया जाता है कि प्रकाशित संकल्प की 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

13/3/18

(विनय कुमार चौबे)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :01स्था(वि0)–25/2018 ...803.......**राँची, दिनांक** :13.3.18

प्रतिलिपि : सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13/3/18

(विनय कुमार चौबे)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :01स्था(वि0)–25/2018 ...803.......**राँची, दिनांक** :13.3.18

प्रतिलिपि : सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी उप विकास आयुक्त/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13/3/18

(विनय कुमार चौबे)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :01स्था(वि0)–25/2018 ...803.......**राँची, दिनांक** :13.3.18

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, झारखण्ड/विकास आयुक्त, झारखण्ड/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13/3/18

(विनय कुमार चौबे)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :01स्था(वि0)–25/2018 ...803.......**राँची, दिनांक** :13.3.18

प्रतिलिपि : निबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13/3/18

(विनय कुमार चौबे)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :01स्था(वि0)–25/2018 ...803.......**राँची, दिनांक** :13.3.18

प्रतिलिपि : मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड पंचायत राज स्वशासन परिषद/जिला समन्वयक/प्रखण्ड समन्वयक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13/3/18

(विनय कुमार चौबे)
सरकार के सचिव।